न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना—कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— **श्री सुनील कुमार I, (RAS)**

राजस्व अपील संख्या :— **1/2023 GCMS 2023/41**

अपीलांट :—

1. श्रवणराम पुत्र बुद्धाराम उम्र 75 साल
2. दयालराम पत्रु बुद्धाराम उम्र 70 साल
3. सायरराम पुत्र बुद्धाराम उम्र 65 साल
4. कैला देवी पुत्री बुद्धाराम उम्र 67 साल, उक्त सभी कि जाति गुर्जर निवासी त्रिसिंझा, तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर राजस्थान

रेस्पोडेन्ट्स :—

1. ग्राम पंचायत सरगोठ, पंचायत समिति कुचामन सिटी जरिये सरपंच
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार कुचामन सिटी
3. श्रीमान उप पंजीयक पंजीयन् एवं मुद्रांक कुचामन
4. हाथीराम पत्रु लालाराम जाति गुर्जर निवासी ज़ालियों की ढाणी तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर फौत के कायम मुकाम

4/1 दौलाराम पुत्र हाथीराम
4/2 दमौरराम पुत्र हाथीराम
4/3 मुकनाराम पुत्र हाथीराम
4/4 सुजाराम पुत्र हाथीराम
4/5 सरदार पुत्र हाथीराम
4/6 कृपा पुत्री हाथीराम
4/7 सोनी पुत्री हाथीराम

समस्त जाति गुर्जर निवासियान— जालियों की ढाणी तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 476 दिनांक 19.10.2022 ग्राम पंचायत सरगोठ द्वारा ग्राम त्रिसिंझा के वर्तमान खसरा खाता संख्या 55 खसरा नम्बर 37, 38, 39, 40 कुल खसरे 04 रकबा 4.5900 हैक्टयर, खसरा [illegible] 55, 56 कुल खसरे 3 रकबा 6.9600 हैक्टयर अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम

उपस्थित :— श्री भीकमचंद अधिवक्ता अपीलांट की ओर से

श्री अशोक पुरी अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 ता 04 के कायम मुकाम की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:01:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी ● कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) ● सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

–:निर्णय :–

दिनांक :– 21/10/2024

वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि जिला नागौर तहसील कुचामन सिटी की ग्राम पंचायत सरगोठ द्वारा ग्राम त्रिसिंझा के वर्तमान खाता संख्या 55 खसरा नम्बर 37, 38, 39, 40 कुल खसरे 04 रकबा 4.5900 हैक्टयर, खसरा नम्बर 56 खसरा नम्बर 54, 55, 56 कुल खसरे 3 रकबा 6.9600 हैक्टयर अपीलार्थीगण के पिता श्री बुद्धाराम पुत्र श्री खुमानाराम की खातेदारी अधिकारों व कब्जे की कृषि आराजी आयी हुई है। उक्त कृषि आराजी के खातेदार बुद्धाराम पुत्र खुमानाराम जाति गुर्जर साकिन देह त्रिसिंझा तहसील कुचामन जिला नागौर के खातेदार के रूप में काश्त करते थे। बुद्धाराम पुत्र खुमानाराम जाति गुर्जर साकिन देह त्रिसिंझा आजीवन हिन्दू थे और हिन्दू मिताक्षरा विधि शासित होते थे, बुद्धाराम पुत्र खुमानाराम का सन् 2014 ईस्वी में निर्वसीयती देहान्त हो चुका है, बुद्धाराम का सजरा खानदान निम्न प्रकार से है :–

बुद्धाराम पुत्र खुमानाराम (फौत)				
गलकू देवी पत्नी(फौत)	श्रवणराम पुत्र	दयालराम पुत्र	सायरराम पुत्र	कैलादेवी पुत्री

बुद्धाराम और अपीलार्थीगण जन्म से हिन्दू है और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से शासित होते हैं। श्री बुद्धाराम एवं गलकू देवी के संसर्ग से उत्पन्न अपीलार्थीगण आपस में पूर्ण रक्त संबंधी भाई बहिन है। अपीलार्थीगण के पिता बुद्धाराम की निर्वसीयती मृत्यु के बाद अपीलार्थी बुद्धाराम जी के जायन्दा बेटे व बेटी होने के कारण विधि प्रभाव से विरासत खातेदारी अधिकार अपीलार्थीगण में निहीत हो चुके हैं। लालाराम निवासी जालिया की ढ़ाणी तहसील रूपनगढ़ जिला नागौर का प्रत्यर्थी संख्या 04 पूर्ण रक्त संबंधी पुत्री है, रेस्पोडेंट संख्या 04 काफी होशियार चालाक आदमी है और रेस्पोडेंट का राजनिति में हस्तक्षेप के कारण प्रत्यर्थी संख्या 01 सोहनी देवी उसके पति मोहनराम और हल्का पटवारी बाबुलाल जाट एवं भू–अभिलेख निरीक्षक दुर्गाराम, ग्राम विकास अधिकारी दीनाराम सहायक सूचना कर्मचारी पदमपुरा से सांठगांठ रखता है। ग्राम जालियों की ढ़ाणी तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर मूल निवासी हाथीराम के पिता लालाराम है और इस तथ्य से प्रत्यर्थी संख्या 01 व 04 भतीभांति वाकिफ है। स्वर्गीय बुद्धाराम पुत्र खुमानाराम का प्रत्यर्थी संख्या 04 जायन्दा पुत्र संतान नहीं है, जो उक्त प्रत्यर्थी संख्या 04 के आधार कार्ड राशनकार्ड आदि दस्तावेजों की जांच करने पर प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। प्रत्यर्थी संख्या 01 [illegible] जी की मृत्यु के बाद उनके नामान्तरकरण कार्यवाही हेतु नोटिस नहीं दिया [illegible] अपीलार्थीगण को प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के तहत सुनवाई का अवसर [illegible] अधिकारी, हल्का पटवारी एवं ग्राम विकास अधिकारी सहायक सूचना कर्मचारी ग्राम पंचायत सरगोठ ने अपने शासकीय पदीय अधिकारों व शक्तियों का दुरूपयोग करते [illegible] आपस में एकराय होकर जानबुझकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:01:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

प्रत्यर्थी संख्या 04 के आधार कार्ड आदि आवश्यक दस्तावेजों को नजर अंदाज करते हुए यह सब जानते हुए कि प्रत्यर्थी संख्या 04 हाथीराम के पिता लालाराम होने के कारण बुद्धाराम का जायन्दा पुत्र संतान नहीं है फिर भी प्रत्यर्थी संख्या 04 का नाजायज लाभ पहुंचाने की नीयत से बुद्धाराम द्वारा शासिक स्वीय विधि के प्रावधानों के विरूद्ध जाकर बिना जांच पड़ताल किये प्रत्यर्थी संख्या 04 बुद्धाराम का पुत्र होना दर्शाकर ग्राम पंचायत सरगोठ की नामान्तरकरण पंजिका संख्या 476 दिनांक 19.19.2022 को अपीलार्थीगण के साथ प्रत्यर्थी संख्या 04 का नामान्तरकरण स्वीकार कर दिया गया जो क़ानून एंव राजस्व नियमों के विरूद्ध है। प्रत्यर्थी संख्या 01 व 04 द्वारा मनमर्जी से अवैध एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विरूद्ध जाकर बुद्धाराम पुत्र खुमानाराम द्वारा शासित स्ववीय हिन्दू विधि के अनुसार वैध उत्ताराधिकारियों को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आक्षेपित नामान्तरकरण प्रविष्टिया दर्ज की गई है। बुद्धाराम की मृत्यु के बाद वाद में प्रश्नगत कृषि भूमि के संबंध में नामान्तरकरण प्रकिया हेतु मृत बुद्धाराम जी के जायन्दा पुत्र पुत्री अपीलार्थीगण को ग्राम पंचायत सरगोठ द्वारा नोटिस देकर नामान्तरकरण के संबंध में पक्ष की सुनवाई किये बगैर ही आक्षेपित नामान्तरकरण प्रविष्टि की वैधानिक के संबंध में विधि प्रक्रिया अनुसार जांच किये बिना रेस्पोडेंट संख्या 01 ने स्वीकृत कर दिया और अपीलाधीन कृषि भूमि में अकेले अपीलार्थीगण का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 में प्रावधान अनुसार खातेदारी हक अधिकार निहीत होने के बावजूद नामान्तरकरण पंजिका में लालाराम के पुत्र हाथीराम को बुद्धाराम का पुत्र दर्शाकर प्रविष्टि स्वीकृत की गई है फलतः आक्षेपित नामान्तरकरण प्रविष्टि अन्यायपूर्ण पक्षपातपूर्ण एंव प्राकृतिक न्याया के सिद्धांत के विरूद्ध होकर असंवैधानिक एंव अवैधानिक होने के कारण निरस्त योग्य है। उक्त आक्षेपित नामान्तरकरण कार्यवाही बुद्धाराम जी के पुत्र व पुत्री उत्तराधिकारियों के हितों के विरूद्ध जाकर प्रत्यर्थी संख्या 04 के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज करने का अधिकार रेस्पोडेंट संख्या 01 को नहीं है, इसलिए आलोच्य नामान्तरकरण प्रविष्टि अवैध कार्यवाही होने के कारण आपस्त किये जाने योग्य है। बावजूद रेस्पोडेंट संख्या 01 मनमर्जी से बदनीयती पूर्वक कपटपूर्वक आलोच्य नामान्तरकरण प्रविष्टि स्वीकृति की कार्यवाही में भारी अनियमितता की गयी है इस कारण निरस्त घोषित किये जाने योग्य है। रेस्पोडेंट संख्या 01 ने द्वेषतावश, जानबुझकर, गलत एवं अन्यायपूर्ण नामान्तरकरण प्रविष्टि के अंकन करने की अवैध कार्यवाही की गई है, आलौच्य नामान्तरकरण प्रविष्टि अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण के पिता बुद्धाराम के देहान्त के बाद बुद्धाराम जी के जायन्दा पुत्र व पुत्री संतान एकमात्र अपीलार्थीगण होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 के तहत प्रथम श्रेणी के उत्ताराधिकारी हो गयी, इस परिपेक्ष्य में अपीलार्थीगण को ग्राम पंचायत सरगोठ द्वारा स्वीकृत आलौच्य नामान्तरकरण प्रविष्टि को खारिज करवाने के अधिकारी है। अपीलार्थीगण द्वारा ऋण हेतु दिनांक 30.01.2023 को चालु भू राजस्व अधिकार रेकर्ड की प्रतिलिपि निकलवाई तब आलौच्य नामान्तरकरण की जानकारी होने के बाद अपीलार्थी ने आलौच्य नामान्तरकरण प्रविष्टि की हल्का पटवारी से दिनांक 01.02.2023 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर अपीलार्थीगण को आक्षेपित नामान्तरकरण प्रविष्टि की पुख्ता जानकारी हुई है। फलतः आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 476 दिनांक 19.10.2022 प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विरूद्ध अवैध फर्जी मनमर्जी से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:01:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विरूद्ध की गयी कार्यवाही होने के कारण इसे कभी भी किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है इस पर समयावधी लांगू नहीं होती है। आक्षेपित नामान्तरकरण प्रविष्टि की जानकारी एवं ज्ञान होते ही नामान्तरकरण प्रविष्टि के विरूद्ध कानूनी चाराजोही करने के लिए यह अपील प्रस्तुत कर दी गयी है फिर भी रफाये आम में मियाद बाबत किसी प्रकार की हुज्जत नहीं हो इसलिए अपीलार्थीगण ने अपने हितों की सुरक्षार्थ यह आवेदन पेश किया है। अपीलान्ट द्वारा आलौच्य नामान्तरकरण के विरूद्ध अन्य कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है।

मौजा पलाड़ा के ग्राम त्रिसिंङ्गा के वर्तमान खाता संख्या 55 खसरा नम्बर 37, 38, 39, 40 कुल खसरे 04 रकबा 4.5900 हैक्टयर, खसरा नम्बर 56, खसरा नम्बर 54, 55, 56 कुल खसरे 03 रकबा 6.9600 हैक्टयर बाबत ग्राम पंचायत सरगोठ द्वारा नामान्तरकरण पुस्तिका में दर्ज आलौच्य नामान्तरकरण प्रविष्टि 476 दिनांक 19.10.2022 को अपास्त कर निरस्त फरमावे एवं उक्त कृषि भूमि के खातेदार बुद्धाराम पुत्र खुमानाराम की मृत्यु के बाद प्रभावी स्वीय विधि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 के तहत मृत खातेदार के उत्तराधिकारियों के संबंध में जांच कर नामान्तरकरण दर्ज करने एवं इस कार्यवाही के दौरान रेकर्ड में निरस्ती नोट लगाने के रेस्पोडेंट तहसीलदार कुचामन सिटी को आदेश प्रदान करावें।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिए नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 02 व 03 के नोटिस तामिल होकर प्राप्त रहे। बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेंट संख्या 01 व 04 के नोटिस तामिल होकर प्राप्त रहे। जिनकी ओर से वकील श्री अशोक पुरी द्वारा पैरवी की गई।

- अपीलांट की ओर से दस्तावेजों की सूची पेश की गई जो निम्नांनुसार हैः–

1. पासबुक सरगोठ
2. खतौनी
3. फाईल प्रमाणित प्रतिलिपि
4. नामान्तरकरण प्रविष्टि संख्या 476 दिनांक 19.10.2022 प्रतिलिपि
5. नकल फोटो हाथीराम व रामकरण जो दोनों भाई है, जिसकी जाति गुर्जर बावला है। नग 3 साथ पेश है।
6. शादी का कार्ड दिनांक 21.11.2018 जिसमें बावला जाति दर्ज है।
7. शादी का कार्ड दिनांक 4.11.2022 जो रामकरण का ससुराल फामड़ा के था।
8. शादी का कार्ड दिनांक 13.11.2021 जो दोलाराम के लड़के के ससुराल पक्ष में बावला लिखा गया है।
9. नकल फोटो स्टेट भामाशाह जिसमें जाति बावला
10. नकल फोटो स्टेट भामाशाह जिसमें बावला लिखा
11. नकल प्रमाण पत्र बड़वा द्वारा दिया

- अपीलांट की ओर से शपथ पत्र पेश किये गये जो नि...नुसार हैः–

1. प्रभुराम पुत्र श्री गोमाराम
2. गोविन्द पुत्र श्री गंगाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:01:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

3. किसना पुत्र श्री गंगाराम
4. सुवाराम पुत्र श्री गंगाराम

- रेस्पोडेंट की ओर से दस्तावेजों की सूची पेश की गई जो निम्नानुसार है:–
  1. दावा की प्रमाणित प्रतिलिपि
  2. मतदाता सूची
  3. खतौनी
  4. बैचान
  5. मृत्यु प्रमाण पत्र
  6. नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल

प्रकरण में अपील उभयपक्षकारान के दस्तावेज एवं बहस के अवलोकन एवं मनन के पश्चात् म्युटेशन संख्या संख्या 476 दिनांक 19.10.2022 ग्राम पंचायत सरगोठ द्वारा ग्राम त्रिसिंझा के वर्तमान खसरा खाता संख्या 55 खसरा नम्बर 37, 38, 39, 40 कुल खसरे 04 रकबा 4.5900 हैक्टयर, खसरा नम्बर 54, 55, 56 कुल खसरे 3 रकबा 6.9600 हैक्टयर का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेंट सं. 4 हाथीराम पुत्र लालाराम के विरूद्ध अपीलांट द्वारा ऐसा कोई वैध साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध हो सके कि हाथीराम, बुद्धाराम का वैध वारिस नहीं था, जिससे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार म्युटेशन भरने में कोई त्रुटि कारित हों। रेस्पोडेंट के दस्तावेज जैसे 1975 की निवार्चक नामावली राजस्व रिकॉर्ड, हाथीराम के मृत्युप्रमाण पत्र सभी में हाथीराम को बुद्धाराम का पुत्र लिखा गया है। जो कि वैध साक्ष्य है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत सरगोठ के फौतगी नामान्तरकरण संख्या 476 दिनांक 19.10.2022 ग्राम पंचायत सरगोठ द्वारा ग्राम त्रिसिंझा के वर्तमान खसरा खाता संख्या 55 खसरा नम्बर 37, 38, 39, 40 कुल खसरे 04 रकबा 4.5900 हैक्टयर, खसरा नम्बर 54, 55, 56 कुल खसरे 3 रकबा 6.9600 हैक्टयर को भरने में कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है। अतः नामान्तरकरण अपील को खारिज किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में आज दिनांक 21/10/2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:01:52 IST
Reason: SelfAttested